BIADA

दिनांक 17.03.2017 को आयोजित पी0सी0सी0 बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

1. श्रीमती अंशुली आर्या
   प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. श्री मृत्युंजय प्रसाद,
   आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
   उद्योग विभाग, पटना (वित्त विभाग के प्रतिनिधि)।
3. श्री एस.पी.राय,
   बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
4. श्री राम लाल खेतान
   अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोशिएयन, पटना।
5. श्री सुभाष पटवारी,
   अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोशिएयन, पटना के प्रतिनिधि।
6. श्री प्रशान्त सिंह,
   अध्यक्ष, सी.आई.आई., पटना के प्रतिनिधि।
7. श्री भोगेन्द्र लाल,
   कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/ मुजफ्फरपुर।
8. श्री संतोष कुमार सिन्हा,
   कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दरभंगा/ भागलपुर।

कार्यवाही

1. उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 808 दिनांक 03.03.2017 द्वारा मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा अन्तर्गत मौजा-सिकन्दरपुर में भूआवंटन हेतु जारी निदेश के आलोक में एन.आई.टी. पटना के लिए आंवटित किए गए 125 एकड़ भूमि पर पी.सी.सी. द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

2. <u>विकास प्रबंधन संस्थान, पटना:-</u> उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 808 दिनांक 03.03.2017 द्वारा मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा अन्तर्गत मौजा-सिकन्दरपुर में भूआवंटन हेतु जारी निदेश के आलोक में विकास प्रबंधन संस्थान, पटना को मौजा-डुमरी में आवंटित 15 एकड़ भूमि के बदले मौजा-सिकन्दरपुर में 15 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

3. <u>सर्वश्री पेटागॉन मेरिटाईम ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुम्बई:-</u> उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 808 दिनांक 03.03.2017 द्वारा मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा अन्तर्गत मौजा- सिकन्दरपुर में 22 एकड़ भूमि विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी संस्थान के लिए आरक्षित किया गया है, जिसे बियाडा द्वारा आवंटित किया जाना है।

सर्वश्री पेंटागॉन मेरिटाईम को वर्ष 2013 में मौजा-डुमरी में 10 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी एवं उनके द्वारा प्रथम किस्त की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। किसानों के विरोध के कारण उक्त भूमि का दखल-कब्जा उन्हें नहीं दिया गया। इसके विरूद्ध पंचाटियों द्वारा दायर वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। इनके द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हें Director General of Shipping (DGS) से जो मान्यता मिली है, उसकी वैद्यता समाप्त हो रही है। अतएव, उनके द्वारा मौजा-डुमरी के बदले अन्यत्र भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है।

समिति द्वारा पाया गया कि इकाई द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व हीं भूआवंटन की प्रथम किस्त जमा की जा चुकी है, परन्तु भौतिक स्वामित्व अबतक नहीं दिया जा सका है। साथ हीं यह एक Specialized Technical Institutions (Maritime) है। अत: सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से सर्वश्री पेंटागॉन मेरिटाईम ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन्सटीट्यूट को मौजा-डुमरी में आवंटित भूमि के बदले, सरकार द्वारा मौजा-सिकन्दरपुर में विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी संस्थान के लिए आरक्षित 22 एकड़ भूमि में से 10 एकड़ भूमि आवंटित कराने का निर्णय लिया गया।

4. **जिला उद्योग केन्द्र, किशनगंज, औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी:-** महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, किशनंगज द्वारा कार्यालय भवन के निर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी में 2000 व्रर्गफीट भूमि का आवंटन करने के मामले में सरकार के पत्रांक 83 दिनांक 13.01.17 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

अत: सरकार से प्राप्त सहमति के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र भेडियाडांगी में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना हेतु 2920 वर्गफीट भूमि सशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

5. <u>सर्वश्री पाटलीपुत्रा इंफोटेक पार्क प्रा0 लि0, औ0 क्षेत्र पाटलीपुत्रा:-</u> इकाई को पूर्व में 1200 वर्गफीट भूमि आवंटित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा अतिरिक्त 480 वर्गफीट भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया गया। इसके उपरांत इकाई द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.11.16 द्वारा उक्त भूमि का आवंटन Coterminus Basis पर करने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस मामले में सर्वश्री पाटलीपुत्रा इंफोटेक पार्क प्रा० लि० को औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा में आवंटित अतिरिक्त 480 वर्गफीट भूमि पर पी०सी०सी० द्वारा सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

6. <u>**सर्वश्री लॉर्ड बुद्धा फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, औ० क्षेत्र हाजीपुर:-**</u> एक प्लॉट पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने के मामले में औ० क्षेत्र हाजीपुर अन्तर्गत प्लॉट नं० सी-10, पार्ट, रकवा 11780 वर्गफीट पर प्राप्त दो आवेदनों के लिए आवंटन हेतु दिनांक 24.10. 16 को आयोजित लॉटरी प्रक्रिया में सर्वश्री एस.जी.जी.एस. को उक्त भूमि का आवंटन किया गया जो लॉटरी के समय अनुपस्थित थे। परन्तु सर्वश्री एस.जीं.जी.एस. द्वारा भूआवंटन में किसी प्रकार की अभिरूची नहीं लिए जाने एवं आवंटन पत्र में निहित प्रावधान का उल्लंधन करने के कारण कार्यालय पत्रांक 5458 दिनांक 29.12.16 द्वारा इनका आवंटन रद्द कर किया जा चुका है। इसके उपरांत सर्वश्री लॉर्ड बुद्धा फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि० द्वारा लॉटरी की प्रक्रिया में दूसरे स्थान पर रहने के कारण उक्त प्लॉट उन्हें आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सर्वश्री लॉर्ड बुद्धा फूड प्रोडक्ट्स प्रा० लि० को औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में भूखण्ड सं०- सी 10, पार्ट, रकवा 11780 वर्गफीट के आवंटन पर पी०सी०सी० द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

7. **सर्वश्री ओम साईं हैचरी प्रोडक्ट्स प्रा० लि०:-** आवेदक द्वारा ई.पी.आई.पी. हाजीपुर में प्लॉट सं०- एन.एस. 3, पार्ट रकवा 6175 वर्गफीट भूमि हैचरी उद्योग की स्थापना हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। इकाई के आवेदन को दिनांक 15.02.16, 07.05.16, 12. 05.16, 08.06.16 की पी.सी.सी. में विचारार्थ रखा गया, जिसमें गया कि - इकाई की परियोजना लागत रू० 116.77 लाख है, जिसमें प्लांट मशीनरी की लागत रू० 20.55 लाख है, जो काफी कम है। इनके आवेदन को लंबित रखते हुए परियोजना की संभाव्यता की जाँच कर आगामी बैठक में रखने का निदेश दिया गया था।

बियाडा द्वारा जाँचोपरांत उल्लेख किया गया है कि आवेदक के पत्र दिनांक 02.08.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके परियोजना प्रतिवेदन में कुल लागत रू० 75.73 लाख एवं मशीन की लागत 27 प्रतिशत के करीब है, जबकि समर्पित परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना लागत रू० 116.77 लाख एवं प्लांट मशीनरी लागत रू० 20.55 लाख है।

विमर्शोपरांत पाया गया कि आवेदक द्वारा समर्पित दोनो आँकड़े आपस में भिन्न एवं विरोधाभाष है। अतएव, इनके भूआवंटन संबंधी आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

8. **सर्वश्री आर.के. फूड प्रोडक्ट्स, औ0 क्षेत्र फतुहा:-** इनके द्वारा दाल मिल की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र फतुहा में भूखण्ड संख्या- बी-2, फेज-1, रकवा-4342 वर्गफीट के आवंटन के लिए आवेदन समर्पित किया गया था, जिसे दिनांक की पी.सी.सी. बैठक में विचारार्थ रखा गया। नई भूआवंटन नीति के शर्त्तों के तहत इन्हें कुल 78.63 अंक प्राप्त हुए एवं इनके द्वारा आवेदित प्लॉट पर मात्र एक हीं आवेदन है। पी.सी.सी. द्वारा पाया गया कि इकाई को पूर्व से आवंटित भूमि का आकलन किया जाये कि इन्हें अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है अथवा नहीं। तद्नुसार इनके आवेदन को आगामी बैठक में रखने का निदेश दिया गया था।

उक्त निर्णय के आलोक में विकास पदाधिकारी, पटना द्वारा इकाई को पूर्व से आवंटित भूमि का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करते हुए उल्लेख किया गया है कि- इकाई द्वारा दो मशीन की लाईन स्थापित करने के कारण, इकाई में कच्चा माल एवं उत्पाद रखने की कमी है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि चूकि इकाई को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है एवं यह प्लॉट उनके पूर्व से आंवटित प्लॉट के सटे अवस्थित है। अतएव, सर्वश्री आर.के. दाल मिल को औद्योगिक क्षेत्र फतुहा में शेड सं0 बी-2, रकवा-4342 वर्गफीट भूमि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की गई।

9. **सर्वश्री निखिल इंजिकॉन प्रा0 लि0, औ0 क्षेत्र पाटलीपुत्रा:-** इकाई को पूर्व से 6000 वर्गफीट भूमि फ्लोर, दाल एवं बेसन मिल एवं फूड प्रोसेसिंग के लिए आवंटित है। इसके द्वारा अपनी परियोजना को बदलकर Call Centre & BPO करने का अनुरोध किया गया, जिसे दिनांक 23.09.16 की पी.सी.सी. बैठक में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा इनकी परियोजना की जाँच कर आगामी बैठक में रखने का निर्णय निदेश दिया गया। जाँच के उपरांत पाया गया कि इकाई का स्वरूप प्रा0 लि0 है, जबकि परियोजना प्रतिवेदन में प्रोपराईटरशीप का उल्लेख है। परियोजना के नियोजन में मैनेजर एवं ऑफीस ब्वॉय का वेतन समान रूप से रू0 5000 प्रतिमाह दर्शाया गया है, जो विधिक रूप से निर्धारित न्यूनतम वेतनमान से भी कम है। इकाई द्वारा समर्पित परियोजना प्रतिवेदन में Main Equipment के लिए 11.25 लाख, Plane & Mach. के लिए 0.75 लाख,